

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--:: कार्यालय आदेश ::--

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य भूगोल विषय में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता भूगोल विषय को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	मोनिका शेखावत राआउमावि, देपालसर, चूरु	भूगोल	05.06.1989	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ1 (23-04)RPSC/Appt/HRD/2017/4616 दिनांक 01.10.18

विभाग छोड़ने के बाद जिन प्राध्यापकों का परिचीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ उनका वर्तमान धारित पद पर लियन नहीं रहेगा, साथ ही संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि यदि कार्मिक निर्वाचन कार्य में नियुक्त है तो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे एवं विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।



(नथमल डिडेल)

आई०ए०एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 04/12/18

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/कार्यमुक्ति/18-19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी
6. संबंधित अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
7. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर